प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.05.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस, 700/- रुपये नगद व एक चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 22.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आपराधिक घटनाओ के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी तभी विजयनगर सिद्धार्थ विहार की तरफ से विजयनगर फ्लाई ऑवर ब्रिज के ऊपर से मैट्रो स्टेशन की तरफ मोटर साइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया तो वह अपनी मोटर साइकिल को फ्लाई ऑवर से एको पार्क की तरफ कच्चे रास्ते पर भागने लगा पुलिस टीम के द्वारा पीछा किया तो कच्चा रास्ता होने के कारण मोटर साइकिल फिसल कर गिर गयी और उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया पुलिस टीम के द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवावी कार्यवाही में बदमाश में पैर में गोली लग गयी जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम तसलीम पुत्र मोहम्मद सलीम उर्फ लगडा निवासी हाकीपुर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को ईलाज हेतु अस्पताल भेज दिया है गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक बैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तत्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त के बिरुद्ध गौवध व गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत है एवं आज वह विजयनगर की तरफ सडके के किनारे बैठी गायों की रैकी कर गाडी में भरकर ले जाकर गौकशी करने के इरादे से आया था।

गिफ्तार अभियुक्त का नाम व पता
तसलीम पुत्र मोहम्मद सलीम उर्फ लगडा निवासी हाकीपुर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण –
1.एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2.नगद 700 रुपये
3.चोरी की मोटर साइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरदानगर पर गौवध अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य अभियोग के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम:-
थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जिंदा, 01 खोखा कारतूस 12 बोर व गौकशी की घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 23.05.2025 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा अपराध रोकथाम व वांछित अभियुक्त तलाश हेतु निवाडी - मोदीनगर रोड पर गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली कि शेरपुर गांव की तरफ से निवाडी मोदीनगर रोड की तरफ से थाना निवाडी पर पंजीकृत गौकशी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त शान मौहम्मद पुत्र भूरे निवासी निवाडी थाना निवाडी गाजियाबाद स्पलेंडर मोटर साइकिल से आ रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा शेरपुर रोड पर ट्यूवैल के पास सघनता से चैकिंग करने लगे। कुछ देर बाद ग्राम शेरपुर की तरफ से एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्ति मोटर साइकिल को तेजी से ट्यूबवेल के सामने जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ भागने के प्रयास में मोटर साइकिल फिसलने से गिर गया तथा अपने आप को घिरता देखकर इस वांछित अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में बदमाश को पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम शान मौहम्मद पुत्र भूरे निवासी कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद है जिसे ईलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर थाना निवाडी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 03.04.25 को सारा / गोविन्दपुरी मार्ग के पास स्थित सुबोध त्यागी पुत्र रघुनाथ त्यागी निवासी ग्राम सारा थाना निवाडी गाजियाबाद के आम के बाग में घटित गोकशी की घटना जिसके संबंध में थाना निवाडी पर अभियोग पंजीकृत है को अपने साथियों के साथ अंजाम देना स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-
शान मौहम्मद पुत्र भूरे निवासी कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-
1. 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर,
2. गोकशी की घटना में प्रयुक्त एक स्पलेंडर मोटर साइकिल,

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी का एक अभियोग, थाना निवाडी पर गौवध का एक अभियोग पंजीकृत है तथा थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर में चोरी व गैंगस्टर अधिनियम के 03 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है,

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 22.05.2025 की रात्रि में थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त नवाजिस पुत्र आस मोहम्मद निवासी डबल टंकी के पास मौहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को शोभापुर कट असालतपुर के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं बंद पडे मकान व आसपास चोरी की घटना कारित करता हूँ चोरी के समय आवश्यकता पडने पर भय दिखाने के लिए चाकू अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नवाजिस पुत्र आस मोहम्मद निवासी डबल टंकी के पास मौहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी व आयुध अधिनियम के 02 अभियोग तथा थाना निवाडी चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी 500 ग्राम चाँदी बरामद।

दिनांक 12.05.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि पूजा कॉलोनी सोम बाजार थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में स्थित मनीष ज्वैलर्स की दुकान से 03 नकाबपोश बदमाशों द्वारा दोपहर 03 बजे पिस्टल की नोंक पर चांदी धातु के आभूषण के 6 डिब्बे वजन करीब लगभग 4.5 किलो को लूटकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों व मैनुअल इनपुट के आधार पर अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये। दिनांक 21.05.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा पुलिस चेकिंग/मुठभेड के दौरान अभियुक्तगण 1.दीपक पाल पुत्र पप्पू पाल 2.आमिर पुत्र बाबू खान 3.रितेश पुत्र भारत 4.सुनील पुत्र कालू राम उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त आकाश उर्फ बावला फरार था जिसकी तलाश की जा रही थी।

आज दिनांक 23.05.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आकाश उर्फ बावला पुत्र अतेश शर्मा निवासी न्यू विकास नगर बंथला निकट रेलवे स्टेशन थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को घिटौरा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया

जिसके कब्जे से लूटी गयी 500 ग्राम चाँदी बरामद हुई। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि गिरफ्तार अभियुक्त आकाश उर्फ बावला, व पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तगण आमिर,दीपक पाल आपस में दोस्त हैं तथा एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। दिनांक 12.05.2025 को आमिर, दीपक पाल, आकाश उर्फ पागल, रितेश व सुनील ने बन्थला फ्लाईओवर के नीचे बैठकर शराब पी और लूट की योजना बनायी थी। योजना में तय हुआ था कि काली अपाचे पर आमिर, दीपक पाल, आकाश उर्फ पागल मुँह पर गमछा बांधकर अस्लाह सहित पूजा कॉलोनी सोम बाजार स्थित मनीष ज्वैलर्स की दुकान पर जायेगें व लूट की घटना को अंजाम देंगे इनके साथी रितेश अपनी मोटरसाइकिल पर सुनील को बैठाकर आगे-आगे चलकर रैकी करेंगे। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें अभियुक्त आकाश उर्फ बावला के हिस्से में 500 ग्राम चाँदी आयी थी। आज चांदी को बेचने के लिए बाहर जाने की फिराक में था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश उर्फ बावला पुत्र अतेश शर्मा निवासी न्यू विकास नगर बंथला निकट रेलवे स्टेशन थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में लूटी गयी 500 ग्राम चांदी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आकाश उर्फ बावला के विरूद्ध लूट के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.05.2025 को थाना मसूरी पर वादिया उम्र करीब 15 वर्ष द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादिया का पीछा करना व उसके साथ छेडछाड करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर धारा 75/78 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.05.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अरसलान पुत्र दाऊद निवासी कुशलिया थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

अरसलान पुत्र दाऊद निवासी कुशलिया थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.05.2025 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त फैजान पुत्र नौशाद निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करना तथा वादिया के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व ¾ पोस्को अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.05.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र नौशाद निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया गया कि पीडिता मेरी रिश्तेदारी में लगती है और हमारा एक-दूसरे के घर आना जाना था। पीडिता मेरे घर आयी हुई थी मैंने मौका पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था तथा उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान पुत्र नौशाद निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 मोटर साईकिल व 1 स्कूटी, कुल 8 (दो पहिया) वाहन बरामद।

दिनांक 25-03-25 को वादी उवैश कुरैशी पुत्र शाहीद निवासी सादिक की पुलिया कोतवाली थाना कोतवाली गाजियाबाद ने सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरी स्कुटी रजि नं0 UP-14-EW-5583 राजनगर एक्सटेंसन से चोरी कर ली गयी है। उक्त सूचना पर तत्काला थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 23-05-25 को मुखबिर की सूचना पर मछली गोदाम

के पास चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तगण को चोरी की 07 मोटर साईकिल व 1 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

(1) सोनू पुत्र दलजीत निवासी गली नं 4 दीनागढी पुराना बस अड्डा के पास थाना सिहानी गेट उम्र 21 वर्ष
(2) तरुण उर्फ अप्पू पुत्र ललित कुमार निवासी नूर नगर सिहानी थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष
(3) चिराग पुत्र मुकेश निवासी मोहन राम मंदिर के पास सहानी थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष
(4) बाल अपचारी

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभि0 सोनू उपरोकत के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर चोरी, वाहन चोरी, आबकारी अधि0 ,आर्मस एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के कुल 10 अभियोग पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने बरामद मोटर साइकिल व स्कूटी के सम्बन्ध में बताया कि हम चारों ने मिलकर करीब 3 माह पहले राजनगर एक्सटेशन के गोल्डन विष्णु फार्म हाउस से चोरी की थी, जिसपर हमनें फर्जी नम्बर प्लेट UP14GD8070 लगा दी थी, और अन्य घटनाओं का करने में स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे थे, स्पलैण्डर मो0सा0 न0 UP14ED7549 के बारे में बताया कि यह मो0सा0 करीब 1 महिने पहले बीएल फार्म हाउस से चोरी की थी, मो0सा0 न0 UP38Z3349 व UP14DK7297 के बारे में पूछने पर बताया कि यह दोनों मो0 सा0 हम चारों ने गिरिराज नगर नन्दग्राम से चोरी की थी तथा मो0सा0 न0 UP14EY8169 को संजयनगर फ्लाईओवर के पास से चारों ने चोरी किया था तथा मो0सा 0न0 DL11SJ9154 व UP25CS5867 को हम चारों ने अब से करीब 3 – 4 माह पहले एक बैंकट हाल के बाहर से चोरी किया था, मो0सा0 न0 UP14EV8160 को हम चारो ने कुछ दिन पहले मधुबन बापूधाम से चोरी की थी। हम लोग पहले चोरी की स्कुटी से रेकी कर, अँधेरे व सुनसान गलीयो में से ये वाहन चोरी कर लेते है।

बरामदगी का विवरण –

(1) स्कूटी नम्बर UP14EW5583 सम्बन्धित मु0अ0सं0 201/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम।
(2) स्पलैण्डर मो0सा0 न0 UP14ED7549 सम्बन्धित मु0अ0सं0 268/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम।
(3) स्पलैण्डर मो0सा0 न0 UP38Z3349 सम्बन्धित मु0अ0सं0 357/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम ।
(4) मो0सा0 न0 UP14DK7297 सम्बन्धित मु0अ0सं0 357/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम।

(5) स्पलैण्डर मो0सा0 न0 UP14EY8169 सम्बन्धित मु0अ0सं0 144/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम

(6) मो0सा0 न0 DL11SJ9154 सम्बन्धित मु0अ0सं0 296/2017 थाना अपराध शाखा दिल्ली।

(7) मो0सा0 न0 UP14EV8160

(8) मो0सा0 न0 UP25CS5867

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 05 लैपटॉप व चोरी की घटना प्रयुक्त 01 ऑटो बरामद ।

दिनाँक 23.05.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान आनंद विहार बार्डर के सामने खण्डहर बिल्डिंग के पास डाबर तिराहे की ओर से 01 अभियुक्त रियाज पुत्र मेंहदी हसन उम्र 26 साल निवासी गली नंबर 05 ब्लॉक-ई श्रीराम कॉलोनी थाना खजूरी खास दिल्ली मूल निवासी ग्राम बेहटा गोसाईं थाना बिल्सी जिला बदायूं को चोरी के 05 लैपटॉप व चोरी में प्रयुक्त एक ऑटो के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त रियाज से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त रियाज अपने साथी शोएब खां के साथ दिल्ली में रहता है । अभियुक्त रियाज व शोएब खां आपस में मिलकर गाजियाबाद व एनसीआर के क्षेत्रों में सडक के किनारे खड़ी गाडियों के शीशे व लॉक तोड़कर महगे सामान लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि चोरी करते है । चोरी किये हुए सामान को प्रवीण नाम के व्यक्ति जिसकी कम्प्यूटर की दुकान नोएडा गौतमबुद्धनगर में है । को सस्ते दामों में बेच कर वापस दिल्ली चले जाते है । दोनों अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 20/05/2025 को शाम के समय यशोदा अस्पताल के सामने सड़क के किनारे खड़ी कार का लॉक तोड़कर गाड़ी की पिछली सीट पर रखे थैले के अन्दर से एक लैपटॉप निकाल लिया था। जिसे आज दिनांक 23.05.2025 को दोनों अभियुक्तगण चोरी किये लैपटाप को बेचने के लिए जा आनंद विहार बार्डर के सामने खण्डहर बिल्डिंग के पास डाबर तिराहे की तरफ जा रहे थे । पुलिस की चेकिंग को देखकर दोनो अभियुक्तग पकड़े जाने के डर से ऑटो पीछे मोड़कर भागे रहे थे। तभी अभियुक्त रियाज को पकड़ लिया गया और उसका साथी शोएब दिल्ली की तरफ भाग गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

- रियाज पुत्र मेंहदी हसन निवासी गली नंबर 05 ब्लॉक-ई श्रीराम कॉलोनी थाना खजूरी खास दिल्ली मूल निवासी ग्राम बेहटा गोसाईं थाना बिल्सी जिला बदायूं उम्र 26 बर्ष ।
- **(फरार)** शोएब खां निवासी मुल्ला कॉलोनी घडौली गाजीपुर दिल्ली

बरामदगी का विवरण:-

- 01 लैपटाप डेल कम्पनी, 01 लैपटाप ड़ेल कम्पनी, 02 लैपटाप लेनोवो कम्पनी के रंग ग्रे,01 लैपटाप एचपी कम्पनी व चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो बरामद ।

आपराधिक इतिहास –

- गिरफ्तार अभियुक्त रियाज के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी का 01 अभियोग, थाना इंदिरापुरम पर लूट का 01 अभियोग,आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व थाना मधुविहार दिल्ली में लूट का 01 अभियोग , चोरी का 01 अभियोग कुल 5 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, घटना मे प्रयुक्त गमछा व डीजल की कैन(05 लीटर) बरामद।

दिनांक 20.05.2025 को थाना मोदीनगर पर आवेदक श्री दुष्यन्त कुमार शर्मा पुत्र स्व0 विनोद कुमार शर्मा निवासी सीकरी कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा उपस्थित आकर एक प्रार्थनापत्र खुद के भाई उमाशंकर उर्फ उदल उम्र करीब 39 वर्ष के काफी समय से गुम हो जाने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर थाना मोदीनगर पर गुमशुदगी संख्या – 61/25 पंजीकृत की गई।

दिनांक 22/23.05.2025 की मध्य रात्रि को आवेदक दुष्यन्त कुमार शर्मा उपरोक्त द्वारा पुनः थाना उपस्थित आकर एक किता प्रार्थनापत्र बाबत अभियुक्तगण 1.नीरज सैनी पुत्र जयपाल सैनी 2.अजय उर्फ छिद्दा पुत्र मानसिंह नाई 3.पकंज सैनी पुत्र खुशी सैनी 4.मनोज सैनी पुत्र राकेश सैनी निवासीगण सीकरी कलाँ थाना मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद 5.गौरव सैनी उर्फ कालू पुत्र बाल किशन निवासी नई बस्ती जनपद मेरठ द्वारा आवेदक के भाई उमाशंकर उर्फ उदल उपरोक्त की हत्या कर सबूत मिटाने की नियत से जलाने का प्रयास करने एवं घटनास्थल से मानव अवशेष व आवेदक के भाई की पहनी हुयी टी शर्ट का जला हुआ टुकडा मिलना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर थाना हाजा पर अभियोग संख्या – 290/2025 धारा 191(2)/103(1)/238 BNS बनाम नीरज सैनी आदि 05 नफर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा नामित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

दिनांक 23.05.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा ग्राम काजमपुर के जंगलो से नीरज सैनी आदि 05 नफर अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनकी निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त गमछा तथा डीजल कट्टी (कैन 05 लीटर) बरामद की गई।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण नीरज सैनी ने बताया कि उमाशंकर उर्फ उदल पुत्र स्व0 विनोद कुमार शर्मा निवासी सीकरी कलां जोकि मेरे ही गांव का था और मेरा अच्छा दोस्त था। मैं तथा उमाशंकर उर्फ उदल, अजय उर्फ छिद्दा, पकंज सैनी, मनोज सैनी जोकि मेरे ही गांव के है तथा गौरव सैनी उर्फ कालू जो मेरे गांव के रिन्कू सैनी का भांजा है। हम सभी लोग एक साथ मजदूरी व फलैक्सी का काम करते रहते थे। दिनांक 27/04/2025 को मैं, उमाशंकर उर्फ उदय व अजय उर्फ छिद्दा नाई सोहन ढाबा पर बैठे हुये शराब पी रहे थे। कुछ समय बाद हमारे दोस्त पंकज सैनी, मनोज सैनी व गौरव सैनी उर्फ कालू और शराब लेकर होटल पर आ गये थे। उसके बाद हम सभी लोगों ने शराब पी थी कुछ नशा होने पर हम सभी लोग

मिलकर होटल से चलकर एकान्त जंगल में शराब पीने के उद्देश्य से हैरिटैज स्कूल के पीछे जा रहे थे, कि रास्ते में हमारे गांव के प्रदीप शर्मा टहलते हुये मिले थे। उन्होंने रूककर हम सभी की तरफ देखा था परन्तु कुछ बोले नहीं थे। हम लोग बातचीत करते हुये एकान्त में हैरिटैज स्कूल के पीछे जंगल में पहुँच गये थे वहां पर बैठकर हम सभी ने शराब पी इसी दौरान हम सब लोगों में वाद विवाद व हाथापाई हुई थी तथा उमाशंकर ने हम पांचों को सामहिक रूप से बहुत गन्दी गन्दी गालियां दी थी तथा अपशब्द भी कहे थे। उमाशंकर को नशा ज्यादा हो गया था हम सभी सामान्य नशे में थे, जब उमाशंकर ने गाली देने बन्द नहीं की तो हम पांचों ने मिलकर योजना बनाई कि आज इसको निपटा ही देते है। नशा होने के कारण उमाशंकर जमीन पर बैठा ही था कि मैंने व पंकज सैनी ने पीछे से उमाशंकर के गले में गमछा का फंदा डाल दिया तथा अजय उर्फ छिद्दा, गौरव सैनी व मनोज सैनी ने मिलकर उसके हाथ पैर दाब लिये तथा मैंने व पकंज ने ताकत से गम्छा को खींचकर दिया, जिससे कुछ देर वह झटपटाया लेकिन हमने तब तक नहीं छोडा जब तक उमाशंकर को मार नहीं दिया। उमाशंकर के मारने के बाद उसकी लाश को उठाकर झाडियो के अन्दर डाल दिया, कुछ देर वहां रूकने के बाद हम घबरा गये और भागते समय गम्छा को जिससे हमने उमाशंकर को मारा था लाश से कुछ दूर झाडियो में डाल दिया। उसके बाद हम सभी लोग इधर उधर चले गये। उसके दो दिन बाद हम पांचों इकट्ठा हुये और मैं अपने घर से एक प्लास्टिक की लाल रंग की कट्टी में डीजल व कट्टे की पल्ली लेकर आया और हम सभी ने पुनः मौके पर जाकर उमाशंकर की लाश को पल्ली में लपेटकर डीजल डालकर आग लगा दी जब वह जलने लगा तो हम लोग उस कट्टी को वहीं पास में जंगल में छिपाकर अलग अलग होकर चले गये थे। उसके बाद किसी को कोई बात नहीं बताई थी। 2 / 3 तीन हम डर की वजह से बाहर रहे फिर जब किसी को कोई पता नहीं चला तो हम अपने घर पर आकर रहने लगे। अब यह बात पूरे गांव में फैल गयी है और ज्यादातर लोगों को पता चल गया है। आज हम पांचों लोग पुलिस से बचकर भागने के लिए काजमपुर के जंगल में ट्यूबैल पर इकट्ठा हुये थे कि आपके द्वारा द्वारा पकड़ लिये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.नीरज सैनी पुत्र जयपाल सैनी उम्र 33 वर्ष।
2.अजय उर्फ छिद्दा पुत्र मानसिंह नाई उम्र 29 वर्ष
3.पकंज सैनी पुत्र खुशी सैनी उम्र 19 वर्ष
4.मनोज सैनी पुत्र राकेश सैनी निवासीगण सीकरी कलाँ थाना मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
5.गौरव सैनी उर्फ कालू पुत्र बाल किशन निवासी नई बस्ती थाना टी पी नगर जनपद मेरठ उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

एक अदद गमछा

एक अदद कट्टी (प्लास्टिक की डीजल लाने मे प्रयुक्त कैन 05 लीटर लाल रंग की)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वादी के घर की खिड़की का शीशा तोड़कर 30,000 /- रु0 चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3,020 रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.05.2025 को थाना इंदिरापुरम पर वादी श्री आनन्द कुमार पुत्र शिवप्रसाद निवासी शिप्रा सनसिटी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर की खिड़की का शीशा तोड़कर 30,000/- रुपये चोरी कर लिये गये है। तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 305,331(4) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त जयकिशोर पुत्र सुरतु यादव हाल निवासी पुश्ता रोड कनावनी थाना इन्दिरापुरम जनपद गजियाबाद मूल पता ग्राम कमतोर जिला दरबंगा बिहार उम्र करीब 30 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.05.2025 को शिप्रा माल के पीछे सर्विस रोड थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये गये 3,020/- रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त जयकिशोर के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यावाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त जयकिशोर से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त जयकिशोर ने 18.05.2025 को शिप्रा सनसिटी में मालसरी रोड पर शाम के समय तीसरी मंजिल पर चाकू की सहायता से बालकोनी की खिड़की का शीशा तोड़कर 30,000/- रुपयों चोरी किये थे। जिसमें से अभियुक्त के पास से 3,020 रुपये नगद बरामद हुए बाकी रुपयों को अभियुक्त ने शौक मौज में खर्च कर दिये। अभियुक्त जयकिशोर शाम के समय कॉलोनी व गलियो में घूमकर बन्द मकानों की रैकी करता है। और मौके मिलते ही चोरी की घटना को अंजाम देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

जयकिशोर पुत्र सुरतु यादव हाल निवासी पुश्ता रोड कनावनी थाना इन्दिरापुरम जनपद गजियाबाद मूल पता ग्राम कमतोर जिला दरबंगा बिहार उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त जयकिशोर के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से 3,020 रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।